

## प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 11.09.2021

### 10 घण्टे के अन्दर थाना डिबाई क्षेत्रांगत एक मकान में घटित घटना का थाना डिबाई पुलिस एवं स्वाट टीम(देहात) द्वारा खुलासा, घटना में संलिप्त तीन अभियुक्त शत-प्रतिशत नकदी 35,750/- रुपये, सोने-चांदी के आभूषण(कीमत करीब 13 लाख), अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त बाइक सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 10.09.2021 को श्री अंकुर अग्रवाल पुत्र कान्ती प्रसाद निवासी मौ0 नमक मंडी कस्बा व थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना डिबाई पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी थी कि उसकी वृद्ध माता जब घर पर अकेली थी तो उसी समय 02 अज्ञात अभियुक्त द्वारा पता पूछने के बहाने घर में घुसकर सोने-चांदी के आभूषण व कुछ नकदी निकालकर ले जाने की घटना कारित की गई है। इस घटना के संबंध में थाना डिबाई पर मुअसं-531/21 धारा 382 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों का पता लगाकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी डिबाई सुश्री वंदना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई श्री सुभाष सिंह के नेतृत्व में कई टीम गठित कर लगाया गया था।

आज दिनांक 11.09.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त घटना में संलिप्त तीन अभियुक्तों को शत-प्रतिशत नकदी 35,750/- रुपये, सोने-चांदी के आभूषण(कीमत करीब 13 लाख) व घटना में प्रयुक्त डिस्कवर बाइक व अवैध असलहा सहित कर्णवास रोड छुईया पुल से आगे आम के बाग से समय करीब प्रातः 10.10 बजे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की तथा 01 अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा जिसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. दीपक पुत्र सुभाष निवासी मौ0 चौधरी खेल कस्बा व थाना डिबाई बुलन्दशहर।
2. जुबैर पुत्र महमूद निवासी उपरोक्त
3. जैद पुत्र वाहिद निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना डिबाई बुलन्दशहर।

#### बरामदगी-

1. घटना में गयी शत-प्रतिशत 35,750/- रुपये नकद।
2. घटना में गये आभूषण-13 चूड़ी पीली धातु, 02 अंगूठी पीली धातु, 07 चांदी के सिक्के, 01 चांदी की हंट्री(छोटा मन्दिर), 04 चांदी के कडे, 06 चांदी के बिछवे छोटे-बडे, 01 चांदी की चक्की(खिलौने वाली), 01 चांदी की छोटी कटोरी(खिलौने वाली)
3. एक बाइक डिस्कवर यूपी-13एच-7090 (घटना में प्रयुक्त)
4. 02 तमंचे 315 बोर मय 04 जिन्दा कारतूस।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ पर बताया कि उन्होंने अपने फरार साथी के साथ मिलकर उक्त घटना की योजना बनायी थी तथा योजनानुसार अभियुक्त जैद जो करीब 8-9 माह पूर्व मुकदमावादी की दुकान पर नौकरी करता था जिसका उनके घर आना जाना था जिसके द्वारा मुकदमावादी अंकुर अग्रवाल की किराना की दुकान के बाहर खडे होकर निगरानी की गयी थी एवं फरार अभियुक्त द्वारा मुकदमावादी की पत्नी जो स्कूल से बच्चों को लेने गयी थी की निगरानी की गयी थी तथा अभियुक्त दीपक व जुबैर द्वारा घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डिबाई पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार करने वाली डिबाई पुलिस टीम के नाम-

- 1- श्री सुभाष सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई
2. उ0नि0 रविन्द्र सिंह, म0उ0नि0 अंकुश मलिक
3. है0का0 संजय शर्मा, का0 दीपक पुंडीर, का0 आशु धामा, का0 राजेन्द्र सिंह, का0 मनोज कौशिक, का0 सचिन कुमार।

#### अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की स्वाट टीम के नाम-

- 1- का0 नितिन कुमार शर्मा, का0 मनीष कुमार, का0 सर्वेन्द्र कुमार, का0 आकाश कुमार।